आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी0डी0एस0 पुनरीक्षण वाद संख्याः–30 / 2022

लवली रंजना कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
18.01.2023	प्रस्तुत वाद लवली रंजना कुमारी, पति–पवन कुमार चौधरी, ग्राम–पीपरा असली, थाना–साहेबगंज, जिला–मुजफ्फरपुर के द्वारा जिलाधिकारी, मुलफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक–09.03.2019 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता को नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु निर्गत आदेश **ज्ञापांक–04–34 / 2019–522 / आपूर्ति, दिनांक–09.03.2019** के विरूद्ध दिनांक– 11.02.2022 को दाखिल अपील आवेदन के आलोक में आरंभ किया गया। उक्त वाद की संक्षिप्त विवरणी यह है कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा दिनांक–20.12.2017 को मुजफ्फरपुर पश्चिमी, अनुमंडल में 250 जन वितरण प्रणाली दुकान के रिक्त पदों पर नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके आलोक में आवेदिका के द्वारा साहेबगंज प्रखण्ड अंतर्गत सरैया पंचायत के रिक्ति संख्या–899 पर जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति संबंधी आवेदन अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर के समक्ष समर्पित किया गया। उक्त के आलोक में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज,	

WEB COPY NOT OFFICIAL

मुजफ्फरपुर के द्वारा दिनांक–07.03.2018 को स्थलीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन के साथ अपना मंतव्य समर्पित किया गया।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जाँच के क्रम में पाया गया कि आवेदिका B.A पास हैं। जाँच के समय आवेदिका अनुपस्थित थी। लोगों के द्वारा बताया गया कि आवेदिका घर पर नहीं रहती है। प्रस्तावित व्यापार स्थल आवेदिका का आवासीय मकान है तथा यातायात की सुविधा अच्छी नहीं है। कुछ ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि आवेदिका सपरिवार मुजफ्फरपुर में निवास करती हैं तथा कम्प्यूटर आदि का कार्य करती हैं।

जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक–09.03.2019 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता को नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आवेदिका को नई अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की गई, जिसके विरूद्ध यह रिविजन वाद दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा दाखिल कागजातों को सुनवाई के उपरांत अंगीकृत करते हुए इस न्यायालय के पत्रांक–89/वि0, दिनांक–17.02.2022 के द्वारा निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई, जिसके प्रसंग में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा वांछित अभिलेख समर्पित किया गया।

इस न्यायालय के पत्रांक–215, दिनांक–28.03.2022 के द्वारा सुनवाई की अगली तिथि 25.04.2022 को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु विपक्षी संख्या–02 हरेन्द्र कुमार, पिता–स्व0 लखनदेव राय, ग्राम–मधुबन सूरज, पोस्ट–बलथी नीरपुर, थाना–साहेबगंज, जिला–मुजफ्फरपुर को नोटिस निर्गत किया गया, जिसके आलोक में विपक्षी संख्या–2 हरेन्द्र कुमार के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपना आपत्ति दाखिल की गई।

WEB COPY NOT OFFICIAL

उक्त वाद की सुनवाई की गई। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा दिनांक–20.12.2017 को मुजफ्फरपुर पश्चिमी, अनुमंडल में 250 जन वितरण प्रणाली दुकान के रिक्त पदों पर नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके आलोक में आवेदिका के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया। साथी हीं विपक्षी संख्या–02 हरेन्द्र कुमार के द्वारा भी अपना आवेदन समर्पित किया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा आवेदनों की जाँच की गई और पूछताछ की गई, जिसमें विपक्षी संख्या–02 (हरेन्द्र कुमार) की अनुशंसा नहीं की गई, लेकिन आवेदिका को योग्य पाया गया एवं आवेदिका की अनुशंसा की गई । आवेदिका ने जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा दिनांक–09.03.2019 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के विरूद्ध रिविजन वाद दाखिल की है, जिसमें विपक्षी संख्या–2 हरेन्द्र कुमार के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आवेदिका के द्वारा दायर CWJC NO-2262/2021 में दिनांक–17.01.2022 को पारित आदेश निर्गत होने की तिथि से चार सप्ताह के सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन दाखिल करने हेतु निदेशित किया गया। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में आयोजित चयन समिति के द्वारा पारित आदेश में प्रतिवादी सं0–2 की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुशंसा की गई जो नई अनुज्ञप्ति हेतु पात्र था। उक्त आदेश जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका के विपरित है एवं नैर्सिग न्याय के सिद्वांतों के भी विरूद्ध है। सबसे आश्यर्च की बात यह है कि उक्त आदेश बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के नियम–9(V) से परे एवं Judicial mind का उपयोग किये बिना निर्गत किया गया है। चयन समिति को बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम–9(V) के अनुसार आवेदिका द्वारा प्राप्त योग्यता एवं अंकों के आधार पर विचार करना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। आवेदिका के

WEB COPY NOT OFFICIAL

विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि निम्न न्यायालय के आदेश को विखंडित किया जाएं एवं आवेदिका के पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

विपक्षी संख्या–02 (हरेन्द्र कुमार) के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रखण्ड साहेबगंज ग्राम पंचायत–सरैया में जन वितरण प्रणाली की दुकान के अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया, जिसका आरक्षण कोटि अनारक्षित था। उक्त पंचायत में जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु कुल–09 (नौ) अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया, जिसके आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर के द्वारा दिनांक–25.06.2018 को आवेदन की सूची प्रकाशित किया गया जिसमें मात्र 04 (चार) अभ्यर्थी सबसे अधिक योग्यता (स्नातक) रखने वाले का नाम प्रकाशित हुआ, जो निम्नवत् है :–

अभ्यर्थी का नाम	उम्र	योग्यता	कम्प्यूटर ज्ञान	अभ्युक्ति
लवली रंजना कुमारी (आवेदिका)	26	स्नातक	संलग्न	आवेदिका स्नातक एवं कम्प्यूटर धारक है। इनका उम्र 26 वर्ष है।
हरेन्द्र कुमार (विपक्षी संख्या–02)	34	स्नातक	संलग्न	आवेदक स्नातक एवं कम्प्यूटर धारक है। इनका उम्र 24 वर्ष है।
रम्भा कुमारी	23	स्नातक	संलग्न	आवेदिका स्नातक एवं कम्प्यूटर धारक है। इनका उम्र 23 वर्ष है।
मो0 कासीम	24	बी0कॉम	संलग्न	आवेदक स्नातक एवं कम्प्यूटर धारक है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

				इनका उम्र 24 वर्ष है।

अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर के द्वारा दिनांक–25.06.2018 को सरैया पंचायत के अनुज्ञप्ति का सूची प्रकाशित किया गया। उसमें गलती से विपक्षी संख्या–2 (हरेन्द्र कुमार) का उम्र 24 वर्ष दर्शाया जबकि विपक्षी संख्या–2 (हरेन्द्र कुमार) का सही उम्र 34 वर्ष है। विपक्षी संख्या–2 (हरेन्द्र कुमार) के मैट्रिक प्रमाण–पत्र में इनका जन्म तिथि 20.09.1983 दर्ज है। विपक्षी संख्या–02 (हरेन्द्र कुमार) का गलत उम्र प्रकाशित किये जाने पर विपक्षी संख्या–02 (हरेन्द्र कुमार) के द्वारा दिनांक–02.07.2018 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में अपना उम्र सुधार करने हेतु मैट्रिक प्रमाण–पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर समर्पित किया गया। **बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम–9(V) में स्पष्ट उल्लेख किाय गया है कि 'उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क होगा परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।** इस प्रकार सरैया पंचायत के रिक्ति संख्या–899 अनारक्षित में जन वितरण की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त सभी अभ्यर्थियों की योग्यता एक समान थी तथा सभी अभ्यर्थियों में विपक्षी संख्या–2 (हरेन्द्र कुमार) का उम्र (34 वर्ष) सबसे अधिक था। इसलिए बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम–9(V) के अनुसार विपक्षी संख्या–2 (हरेन्द्र कुमार) सबसे योग्य अभ्यर्थी थे।

विपक्षी संख्या–02 (हरेन्द्र कुमार) के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि दिनांक–09.03.2019 को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में ग्राम पंचायत–सरैया में रिक्ति संख्या–899 में उचित जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया तथा पाया गया कि सभी अभ्यर्थियों में विपक्षी संख्या–2 (हरेन्द्र कुमार) का उम्र सबसे

WEB COPY NOT OFFICIAL

अधिक है। इसलिए बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम–9(V) के अनुसार विपक्षी संख्या–2 को प्राथमिकता देते हुए अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर दिया गया। आवेदिका के द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के समक्ष आवेदन समर्पित कर उक्त आदेश के विरूद्ध शिकायत की गई, जिसके आलोक में जिला लोक शिकायत निवारणी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर से स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1305, दिनांक–24.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सरैया पंचायत के रिक्ति संख्या–899 अनारक्षित में जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति हेतु लवली रंजन कुमारी के साथ–साथ 04 अन्य आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता समान था। विभागीय निदेशानुसार स्नातक योग्यताधारी में उम्र अधिक रखने वाले आवेदक को चयनित किये जाने का प्रावधान है, जबकि परिवादकर्ती लवली रंजना कुमारी का जन्म तिथि 16.03.1991 है तथा उक्त पंचायत अंतर्गत स्नातक योग्यताधारी में हरेन्द्र कुमार का जन्म तिथि 20.09.1983 होने के फलस्वरूप चयन समिति में हरेन्द्र कुमार के नाम की अनुशंसा भेजी गई थी। दिनांक–09.03.2019 को संपन्न जिला स्तरीय चयन समिति में समीक्षोपरांत सरैया पंचातय अंतर्गत रिक्ति संख्या–899 अनारिक्षत में हरेन्द्र कुमार का स्नातक योग्यताधारी में उम्र अधिक होने के फलस्वरूप चयन किये जाने पर चयनित अभ्यर्थी के नाम से अनुज्ञप्ति निर्गत कर दी गई है। इस प्रकार जिला स्तरीय चयन समिति का आदेश विधिसम्मत् है एवं आवेदिका का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या–02 के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि विपक्षी संख्या–02 के आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

विशेष विद्वान अधिवक्ता, आवश्यक वस्तु अधिनियम, मुजफ्फरपुर का कथन है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम–9(V) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 'उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क होगा

WEB COPY NOT OFFICIAL

परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले का प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार सरैया पंचायत के रिक्ति संख्या–899 अनारक्षित में जन वितरण की अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त सभी अभ्यर्थियों की योग्यता एक समान थी तथा सभी अभ्यर्थियों में विपक्षी संख्या–2 हरेन्द्र कुमार का उम्र (34 वर्ष) सबसे अधिक था। इसलिए बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम–9(V) के अनुसार विपक्षी संख्या–2 सबसे योग्य अभ्यर्थी थे। इस तरह निम्न न्यायालय का आदेश पूरी तरह से विधिसम्मत् है एवं आवेदक का रिविजन आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

पुनरीक्षणकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा दिनांक–20.12.2017 को मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल में 250 जन वितरण प्रणाली दुकान के रिक्त पदों पर नई अनुज्ञप्ति हेतु अधिसूचना प्रकाशित किया गया। यह मामला साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत सरैया पंचायत के रिक्ति संख्या–899 से संबंधित है। उक्त रिक्ति के लिए पुनरीक्षणकर्ता एवं इस वाद के विपक्षी संख्या–02 (हरेन्द्र कुमार) द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। इन दोनों के आवेदन के आधार पर स्थलीय जॉच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज से कराया गया। इन दोनों के आवेदन में शैक्षणिक योग्यता एवं कम्पयूटर प्रमाण–पत्र में समानता पाया गया। इसलिए बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम–9(V) के आधार पर अधिक उम्र वाले का चयन किया गया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता का मुख्य दावा विपक्षी संख्या–02 के उम्र को लेकर है। ***इस संबंध में निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न पुनरीक्षणकर्ता के मैट्रिक प्रमाण–पत्र संख्या–0070776 में जन्म तिथि दिनांक–16 मार्च 1991 है जबकि विपक्षी संख्या–02 के मैट्रिक प्रमाण–पत्र संख्या–076525 में उनका जन्म तिथि***

WEB COPY NOT OFFICIAL

	दिनांक–20 सितंबर 1983 है। इस प्रकार यदि चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय (दिनांक–09.03.2019)को आधार मानकर इनके जन्म तिथि की गणना करने पर पुनरीक्षणकर्ता की उम्र 27 वर्ष 11 महीना 21 दिन होता है, जबकि विपक्षी संख्या–02 की उम्र 35 वर्ष 5 महीना 17 दिन होता है। सुनवाई के दौरान पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि विपक्षी संख्या–02 की उम्र पुनरीक्षणकर्ता से ज्यादा है। इस प्रकार बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम–9(V) के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उपर्युक्त के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक–09.03.2019 में लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ वापस किया जाए। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL